

आवश्यक सूचना

छावनी परिषद लाल कुर्ती एरिया के समस्त गृह स्वामियों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद में वर्ष 01/04/2017 से 31/03/2021 तक का कर निर्धारण होने जा रहा है। अगर किसी भी गृह स्वामी ने अपने मकान/दुकान का कोई भाग किसी किरायेदार/संस्था को किराये पर दिया हुआ है वह छावनी परिषद कार्यालय में दिनांक 20/08/2016 तक संस्था का पूरा वर्णन पूर्ण पते सहित किरायेदार व किराये की धनराशि का पूरा वर्णन छावनी परिषद कार्यालय में जमा कराये।

अगर कोई गृह स्वामी अपने मकान में रहने वाले किरायेदार या संस्था का पूर्ण वर्णन नहीं देता है तो उसके विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी।

अज

(अनन्त आकाश)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद रुडकी

सं0आर0के0 / टैक्स / 13
कार्यालय छावनी परिषद,
रुडकी
दिनांक 27/07/2016

प्रतिलिपि :-

1. स्टेशन हेड क्वाटर
2. पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन्स, रुडकी
3. सफाई निरीक्षक - जनता को सूचित कराने हेतू
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय / बाजार एरिया